श्रम विभाग

दिनांक 9 मई, 1984

सं. 3(127)83-3 श्रम.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11), की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित रोजगार को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग I में शामिल करने, और उसमें कार्य पर लगे कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के, जिनकी इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने आशय का नोटिस देते हैं ।

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात उपर निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित आक्षेप या सुझाव को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले श्रमायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजा जाना चाहिए ।

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम में अनुसूची के भाग I में निम्नलिखित रोजगार अन्त में जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"45. किसी भी रूप में साबुन, धुलाई के अन्य उत्पादों, कृत्रिम प्रक्षालकों तथा अंग रागों का विनिर्माण ।"

आदेश

दिनांक 15 मई, 1984

सं० जो०वि०/8-84/18983.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० गोल्डी हाई सैक्स फार्म प्रा० लि०, बेगा (गन्नौर) सोनीपत, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं :—

(i) क्या श्रमिक वर्ष 1982-83 के बोनस के हकदार हैं ? यदि हां तो किस विवरण में

(ii) क्या श्रमिक पहनने के लिए जूते लेने के हकदार हैं? यदि हां तो किस विवरण में ?

दिनांक 18 मई, 1984

सं० जो०वि०/2/84/19684.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज एलसन काटन मिल लि० मथुरा रोड, बल्लबगढ़ के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद का न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को, नीचे विनिर्दिष्ट मामला, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) (है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या श्रमिक दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 से जब कारखाना में तालाबन्दी घोषित की गई थी, से जब तक तालाबन्दी समाप्त नहीं होती तब तक के समय के वेतन के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण हैं ?

(2) क्या प्रबन्धकों द्वारा जो सर्वश्री जनार्दन, राम भरोसे, धन सिंह, झल्लू लाल, जितेन्द्र, राधावरण की सेवाएं समाप्त की गई हैं, वह न्यायपूर्वक हैं? यदि नहीं, तो श्रमिक किस लाभ के हकदार हैं ?

मीरा सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।